भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 694

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के खाली पद**

**694. श्री जुगुल किशोरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में एससी/एसटी अध्यापकों के पद खाली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अध्यापकों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): जी, हां। एससी/एसटी शिक्षकों के कुछ पद उत्तर प्रदेश के केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे बनारस हिन्‍दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में खाली हैं। चूंकि राज्‍य विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेज मुख्‍यतया संबद्ध राज्‍य सरकार की जिम्‍मेवारी होती है, राज्‍य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचना केन्‍द्रीय रूप से रखी नहीं जाती है।

(ख): केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों में खाले पड़े शिक्षकों के पद हेतु मुख्‍य कारणों में से एक कारण ज्ञान के विशेष क्षेत्र में अपेक्षित अर्हता के साथ संकाय सदस्‍य का उपलब्‍ध न होना है।

(ग): केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्‍त पड़े शिक्षक पदों को भरने के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा निम्‍न कदम उठाए गए हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति, अविलंब शिक्षक पदों को भरने हेतु उपायों का सुझाव देने इत्‍यादि के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
2. नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक पुन: नियोजन के विकल्‍प के साथ 70 वर्ष तक बढ़ा दी गई है, बशर्ते की 65 वर्ष की आयु में स्‍क्रीनिंग हो।
3. चयन प्रक्रिया को अविलंब से करने के लिए शिक्षकों हेतु चयन समिति के वास्‍ते सभी 39 केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों को विजिटर के पांच नामिति प्रदान किए गए हैं।
4. सरकार ने केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों और उन समविश्‍वविद्यालयों में जो सार्वजनिक निधि से सहायता प्राप्‍त कर रहे हैं में, आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी को निर्देश दिए हैं।
5. भारत के माननीय राष्‍ट्रपति की अध्‍यक्षता में फरवरी, 2015 में केन्‍द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्‍मेलन के दौरान, कुलपतियों पर एक समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया गया था।
6. दिनांक 07 जुलाई, 2015 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक में इन कुलपतियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और अक्टूबर 2015 के अंत तक पर्याप्त रिक्तियां भर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्‍त, यूजीसी ने सभी केन्‍द्रीय और राज्‍य विश्वविद्यालयों/संस्‍थाओं को समय-समय पर यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

1. सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्‍वयन।
2. विश्‍वविद्यालय वेबसाइट पर आरक्षण रोस्‍टर को प्रदर्शित करना, और
3. शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों पदों में शेष अभिनिर्धारित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरना।

\*\*\*\*\*